



कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची

वन भवन, डोरण्डा, रांची-८३४००२, Phone-०६५१-२४८१९०९ (O) / २४८०४१३ (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांकः ५B-२६/ sanc II-(२०१८-१९) - ३७४८

दिनांकः १५-१०-१८

प्रेषक

संजय कुमार, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

सेवा में

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
रांची।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-१९, मुख्य शीर्ष-२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, ०२-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, ११०-वन्य जीव परीक्षण, "२६- अभ्यारण्य-टॉर्च एवं सामग्री" उपशीर्ष के "२३-आपूर्ति एवं सामग्री" इकाई में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार, रांची का पत्रांक २९ / बी०टी०ई०-१०/२०१७-१८/७७ / बजट, दिनांक २१.०२.२०१८।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "२६-अभ्यारण्य-टॉर्च के लिए" उपशीर्ष के "आपूर्ति एवं सामग्री" इकाई में रु० ०.६०० लाख (साठ हजार रु०) मात्र की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार रांची के पत्रांक-२९ / बी०टी०ई०-१०/२०१७-१८ / ७७ / बजट रांची, दिनांक २१.०२.२०१८ तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय झाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक १७.०४.१९९८ के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३ / १८०० दिनांक १५.०७.२००३ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. इस राशि से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विर्तिदिष्ट करते हुए कोषागार/उप कोषागार को सूचित करेंगे तथा उसी अनुसार राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
5. निकासी एवम् व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि निकासी के पूर्व जिस कार्य के लिए निकासी की जा रही है उसके लिए यथा योग्य सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो एवम् राशि का पूर्ण सदुपयोग कर लिया जायेगा।
6. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक, क्षेत्रीय/मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा व्यय का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा। झारखण्ड सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-४/यो० बजट-०५/१०-८१९ दिनांक १०.०३.२०११ को भी द्रष्टव्य रखा जायेगा।

०१

7. राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुनिश्चित दिशा निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री का क्य वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि ऐसी निकासी कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
9. खीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय ज्ञाप सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में नियंत्री पदाधिकारी से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।
10. मजदूरी का भुगतान अम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अनुरूप एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा। मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाता में ट्रांसफर अथवा A/c Payee चेक के माध्यम से किया जाएगा।
11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्षणों का विचलन न हो।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय कराया जायेगा। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा इसका नियमित अनुश्रवण के साथ-साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से Ledger लेखा समय से प्राप्त कर संतुष्ट होते हुए महालेखाकार को भेजा जायेगा।
13. यह आवंटन आपके कार्यालय पत्रांक 2784 दिनांक 31.08.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
14. यह राशि उन हाँथियों के प्रकोप वाले गाँवों पर व्यय की जाएगी, जिसके लिए कैम्पा मद में JFMC/EDC को राशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।
15. किसी भी स्थिति में एक ही गाँव में दोनों मद से राशि व्यय नहीं होगी तथा यथासंभव व्यय भी अलग-अलग प्रकार का किया जाय ताकि डुप्लीकेशन किसी भी स्थिति में नहीं हो। चूंकि हाँथियों का अभी ज्यादा प्रकोप हो रहा है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या—BRASAN/26-18-19/09S&M की मूल प्रति अत्र—सह—संलग्न है।

अनु०—यथो०

विरचासभाजन,

प्रधान मुख्य बन सरकार,
झारखण्ड, राँची

OIC

१५.१०.१८

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

वित्तीय वर्ष

2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या -


BRASAN/26-18-19/09S&M

दिनांक -

15-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240602110260323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिवर्षण 26 - अभ्यारण्य - टार्च एवं सामग्री 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Establishment Expenditure	64474	DRNFWL005 A.T MISHRA R. C. C. F. RANCHI	60,000.00 रुपये साहठ हजार

State Scheme : NA
Central Scheme : NA



60,000.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये साहठ हजार

15/10/18
(SANJAY KUMAR)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, भारत।